

“फिरोस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जनवरी 2015—माघ 2, शक 1936

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2015

अधिसूचना

क्रमांक 686/162/21-ब/छ.ग./15. — कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 8 के उप-नियम (1) में, शब्द “अथवा न्यूनतम अनुभव”, के स्थान पर, शब्द “एवं न्यूनतम अनुभव” प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 686/162/XXI-B/C.G./15. — In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Family Courts Rules, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In sub-rule (1) of rule 8, for the words “or minimum experience”, the words “and minimum experience” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेज्ञानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.